संख्या-81/2021/838/22-2-2021-17(173)/2017

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2021***

विषय:-जिला कारागार, बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नागेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 गौरी सिंह, निवासी जनपद-बलिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे-5-दया0 बैठक-11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नागेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 गौरी सिंह, जो ग्राम-सुखपुरा, थाना-सुखपुरा, जनपद-बलिया का रहने वाला है। गोबर गैस प्लान्ट एवं गढ़ही की जमीन पर मिट्टी गिराने से मना करने पर हुए विवाद के कारण दिनांक 11.07.2002 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा कट्टा एवं बन्दूक से गोली मारकर रमेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-16/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-02, बलिया के आदेश दिनांक 17.02.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.04.2016 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30.09.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.10.2020 तक 04 वर्ष 03 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 11 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने **के** दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक तथा **जिला मजिस्ट्रेट**, **बलिया द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के** दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी नागेन्द्र सिंह (बन्दी संख्या-4210/2016) पुत्र स्व0 गौरी सिंह, निवासी जनपद-बलिया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-81/2021/838(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, बलिया।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in